



## बाल संरक्षण हेतु WHO की खाद्य वपिणन अनुशंसाएँ

### प्रलिस के लयल:

वशिव सवासथय संगठन, बाल अधकारों पर अभसिमय, HFSS खाद्य पदारथ

### मेन्स के लयल:

बच्चों पर खाद्य वपिणन का प्रभाव, बच्चों से संबधति मुददे

## चरचा में क्योँ?

हाल ही में [वशिव सवासथय संगठन \(WHO\)](#) ने बच्चों को असवासथयकर आहार वकिल्पोँ को बढ़ावा देने वाले खाद्य वपिणन के हानकारक प्रभावों से बचाने के लयल सभी देशों को नीतयिों बनाने में सहायता करने के लयल नए दशला-नरिदेश जारी कयल हैं ।

- ये दशला-नरिदेश सभी उमर के बच्चों के लयल **संतूपत फैटी एसडल, उच्च टरांस-फैटी एसडल, शरकरा और नमक (HFSS)** आदल से युक्त **खाद्य पदारथों और गैर-अलकोहल पेय पदारथों के वपिणन को प्रतबिंधति** करने हेतु अनवर्य नीतयिों के कारयानवयन की सफारशल करते हैं ।
- ये दशला-नरिदेश वर्ष 2010 में जारी WHO के '**बच्चों के लयल खाद्य पदारथों और गैर-अलकोहल पेय पदारथों के वपिणन पर सफारशल**' पर बनाए गए हैं ।

## बच्चों को खाद्य वपिणन से बचाने हेतु नीतगल सफारशल:

- अनुशंसाएँ:**
  - व्यापक अनवर्य नीतयिों:**
    - बच्चों की सुरक्षा के लयल **HFSS खाद्य पदारथों और गैर-अलकोहल पेय पदारथों के वपिणन को प्रतबिंधति** करना
    - सभी देशों की नीतयिों को **टीवी, रेडयो, प्रटल, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, सोशल मीडयो, मोबाइल डवलस, गेम, स्कूल, सार्वजनक स्थान और पाइंट-ऑफ-सेल** सहल वभिन्न वपिणन चैनलों एवं अनय माध्यमों को कवर करने वाले HFSS खाद्य पदारथों के वजिजापनों को प्रतबिंधति करना चाहल ।
  - आयु सीमा:**
    - बाल अधकारों पर कनवेंशन** के अनुरूप सुरक्षा के लयल आयु सीमा 18 वर्ष तक होनी चाहल ।
  - देश के संदरभ में पोषक तत्त्व प्रोफाइल:**
    - देश के संदरभ में **अनुकूलतल वैज्जानकल मानदंडों** के आधार पर HFSS खाद्य पदारथों और पेय पदारथों को परभलषतल करने के लयल एक पोषक तत्त्व प्रोफाइल मॉडल का उपयोग कयल जाना चाहल ।
    - दशला-नरिदेश नीतयिों बनाते समय देश के संदरभ पर वचार करने के महत्त्व पर ज़ोर देते हैं, जसमें **पोषण स्थतल, सांस्कृतकल संदरभ, स्थानीय रूप से उपलब्ध खाद्य पदारथ, आहार संबधी रीतल-रलवाज, उपलब्ध संसाधन एवं क्षमताएँ, मौजूदा शासन संरचनाएँ और तंत्र** शामिल हैं ।
  - प्रेरक तकनीकें:**
    - बच्चों को आकर्षतल करने वाली प्रेरक तकनीकों, जैसे- **कार्टून, मशहूर हसतयिों, खलौने, खेल, छूट या मुफ्त उपहार** पर प्रतबिंध ।
    - नीतयिों की **नगरानी, प्रवर्तन और मूल्यांकन** के लयल प्रभावी तंत्र आवश्यक है ।
  - हतलधारकों की भागीदारी:**
    - नीतल वकलस एवं कारयानवयन में प्रासंगकल हतलधारकों की भागीदारी, पारदर्शतल सुनशलचतल करना और हतलों के टकराव से बचना ।
- महत्त्व:**
  - साक्ष्य-सूचतल मार्गदर्शन:**
    - नीतल अनुशंसाएँ **बच्चों को हानकारक खाद्य वपिणन से बचाने के लयल साक्ष्य-सूचतल मार्गदर्शन** प्रदान करती हैं ।
    - मज़बूत नयलमों की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए **मौजूदा नीतयिों कमयिों और चुनौतयिों** का समाधान करती हैं ।
  - तत्काल काररवाई की आवश्यकता:**

- अनुशंसाएँ बचपन में मोटापे और **गैर-संचारी रोगों** के बढ़ते बोझ के कारण कार्रवाई की तत्काल आवश्यकता पर प्रतिक्रिया देती हैं।
- बचपन में मोटापे की दर बढ़ने का अनुमान है, जो एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता का विषय है।
- **दीर्घकालिक स्वास्थ्य प्रभाव:**
  - बचपन में मोटापा, वयस्कता में **मृत्यु दर में वृद्धि** से जुड़ा है।
  - प्रभावी नीतियों को लागू करने से **दीर्घकालिक स्वास्थ्य परिणामों को कम करने में सहायता मलि सकती है।**
- **बच्चों के अधिकारों की रक्षा:**
  - अनुशंसाएँ **बच्चों के सर्वोत्तम हित** को प्राथमिकता देती हैं, उनके **स्वास्थ्य और पर्याप्त भोजन के अधिकार को सुनिश्चित करती हैं।**
  - **हानिकारक वणिणन प्रथाओं पर अंकुश लगाने** के उद्देश्य से बनाई गई नीतियों से बच्चों को लाभ होता है।

## बच्चों पर खाद्य वणिणन के हानिकारक प्रभाव:

- खाद्य वणिणन बच्चों के भोजन के प्रति **दृष्टिकोण, प्राथमिकताओं और उपभोग** को प्रभावित करने के लिये प्रेरक तकनीकों का उपयोग करता है।
- HFSS खाद्य पदार्थ (संतृप्त फैटी एसडि, ट्रांस-फैटी एसडि, मुक्त शर्करा और नमक) खाद्य वणिणन का केंद्र बिंदु है **जो मोटापे, मधुमेह, हृदय रोगों और दंत क्षय के बढ़ते जोखिम से जुड़े हैं।**
- खाद्य वणिणन **स्वस्थ विकल्पों की तुलना में अस्वास्थ्यकर विकल्पों को बढ़ावा देकर बच्चों के भोजन को प्रभावित करता है।** यह उपभोग कथि जाने वाले HFSS खाद्य पदार्थों की आवृत्ति और मात्रा को भी बढ़ाता है।
- खाद्य वणिणन **फलों और सब्जियों जैसे पौष्टिक खाद्य पदार्थों की खपत को वसिथापित करता है और स्वस्थ भोजन पर माता-पिता के प्रभाव को कमजोर करता है।**
- खाद्य वणिणन बच्चों को **HFSS खाद्य पदार्थों की पोषण गुणवत्ता और स्वास्थ्य लाभों के बारे में गुमराह कर सकता है।** यह बच्चों के भोजन विकल्पों को प्रभावित करने के लिये **भावनात्मक अपील, साथियों के दबाव या सेलब्रिटी समर्थन का फायदा उठाता है।**

## बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (UNCRC):

- यह वर्ष 1989 में **संयुक्त राष्ट्र महासभा** द्वारा अपनाई गई एक संधि है।
- यह 18 वर्ष से कम आयु के **प्रत्येक व्यक्ति को बच्चे के रूप में मान्यता देता है।**
- यह प्रत्येक नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों को **नरिधारित करता है, चाहे उनकी जाति, धर्म या क्षमता कुछ भी हो।**
- इसमें **शिक्षा का अधिकार, आराम और अवकाश का अधिकार, बलात्कार और यौन शोषण के वरिद्ध सहित मानसिक या शारीरिक दुरव्यवहार से सुरक्षा का अधिकार, जीवन और विकास का अधिकार जैसे अधिकार समाहित हैं।**
- यह **वशिव की सर्वाधिक व्यापक रूप से स्वीकृत मानवाधिकार संधि है।**
- भारत ने वर्ष 1992 में **UNCRC** का अनुमोदन कथिा और **घरेलू कानूनों, नीतियों एवं कार्यक्रमों के माध्यम से इसके सदिधांतों तथा प्रावधानों को लागू करने के लिये प्रतबिद्ध है।**

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

### प्रलिमिस:

प्रश्न. बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभसिमय के संदर्भ में नमिनलखिति पर वचिार कीजयि: (2010)

1. विकास का अधिकार
2. अभवियक्तिका अधिकार
3. मनोरंजन का अधिकार

उपर्युक्त अधिकारों में से कौन-सा/से बच्चों से संबंधित है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 1 और 3
- (c) केवल 2 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: D

व्याख्या:

- संयुक्त राष्ट्र (यूएन) ने वर्ष 1946 में संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष (यूनसिफ) की स्थापना करके बाल अधिकारों के महत्त्व को घोषित करने की दिशा में अपना पहला कदम उठाया। वर्ष 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया, जिससे यह बच्चों की सुरक्षा की आवश्यकता को चिह्नित करने वाला पहला संयुक्त राष्ट्र दस्तावेज़ बन गया।
- बाल अधिकारों पर विशेष रूप से केंद्रित संयुक्त राष्ट्र का पहला दस्तावेज़ बाल अधिकारों की घोषणा था, लेकिन कानूनी रूप से बाध्यकारी दस्तावेज़ होने के बजाय यह सरकारों के लिये आचरण का नैतिक मार्गदर्शक की तरह था।
- यह अभिसमय, जो 2 सितंबर, 1990 को लागू हुआ, में जीवन के अधिकार, विकास के अधिकार, खेल और मनोरंजक गतिविधियों में संलग्न होने के अधिकार, सुरक्षा के अधिकार, भागीदारी के अधिकार, अभिव्यक्ति सहित बाल अधिकारों की विभिन्न श्रेणियों को शामिल करते हुए 54 अनुच्छेद शामिल हैं। अतः 1, 2 और 3 सही हैं।

अतः विकल्प D सही उत्तर है।

**??????:**

प्रश्न. राष्ट्रीय बाल नीतिके मुख्य प्रावधानों का परीक्षण कीजिये तथा इसके कार्यान्वयन की प्रस्थितिपर प्रकाश डालिये। (2016)

**स्रोत: डाउन टू अर्थ**

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/who-s-food-marketing-recommendations-for-child-protection>

